FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0111 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/05/2025 17:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	467
5	भा दं सं 1860	468
6	भा दं सं 1860	471
7	भा दं सं 1860	420
8	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 30/01/2010 **Date To (दिनांक तक):** 01/04/2019

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/05/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/05/2025 17:40:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 580 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** GRAM PANCHYAT TALWARA, PANCHYAT SAMITI TALWARA, JILA BASNWARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then**
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JAYDEEP TRIVEDI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HARISHCHANDRA TRIVEDI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992

(d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SADAR BAZAAR LAXMINARAYAN MANDIR KE PEECHHE, TALWARA, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SADAR BAZAAR LAXMINARAYAN MANDIR KE PEECHHE, TALWARA, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):**

Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars**
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MANJULA DINDOR		पति:RAMESH DINDOR	1. MUKAM POST TALWARA,BANSWARA,RAJAST
2	MUKESH BATT		पिता:GOBILAL BATT	1. MUKAM POST SUNDANPUR,BANSWARA,RAJ
3	BIJARAM SINGARIYA		पिता:GHISARAM SINGARIYA	1. REGARO KA VAS,,JAITARAN BEAWAR,BANSWARA,RAJASTHAN,INDIA

4	PRAMOD BATT		पिता:NATWARLAL BATT	1. MUKAM POST BHEELURA,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA
5	CHHGANLAL		पिता:MOTIYA DINDOR	1. GRAM TALWARA,BANSWARA,RAJAST
6	PRBHULAL		पिता:KALIYA	1. GRAM TALWARA,BANSWARA,RAJAST
7	DHANRAJ		पिता:SAVJI REBARI	1. GRAM TALWARA,BANSWARA,RAJAST
8	HAJNA		पिता:SAVJEE REBARI	1. GRAM TALWARA,BANSWARA,RAJAST
9	RAJARAM		पिता:SAVJI REBARI	1. GRAM TALWARA,BANSWARA,RAJAST
10	NARAYAN LAL		पिता:LAKSHMANLAL REBARI	1. GRAM TALWARA,BANSWARA,RAJAST
11	LAKSHMAN		पिता:ARJAJEE	1. GRAM TALWARA,BANSWARA,RAJAST
12	DEVILAL		पिता:LAKSHMANLAL REBARI	1. GRAM TALWARA,BANSWARA,RAJAST
13	HEERALAL AND OTHERS		पिता:DHULAJI REBARI	1. GRAM TALWARA,BANSWARA,RAJAST

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant**
   (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
   (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		52,17,101.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 52,17,101.00
    (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
    (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि परिवादी श्री जयदीप त्रिवेदी मुकाम पोस्ट तलवाडा जिला बांसवाडा द्वारा एक शिकायत इस आशय पेश की गई कि " ग्राम पंचायत तलवाडा जिला बांसवाडा द्वारा किये गये निर्माण कार्यो एवं पट्टे वितरण में अनियमितता की जांच हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बांसवाडा को निवेदन किया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा जिला परिषद बांसवाडा से जाँच टीम का गठन करवाया गया, परन्तु उक्त जांच को ग्राम पंचायत तलवाडा से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दबाने का प्रयास किया गया, परन्तु जिला परिषद में कार्यरत पंचायत प्रसार अधिकारी श्री हरिशचन्द्र पाटीदार एवं आप विभाग के सहयोग से उजागर कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की गई, परन्तु मेरे द्वारा की गई शिकायत की जांच आज दिनांक तक पुर्ण नहीं हुई हैं तथा मुझे अंदेशा है कि उक्त जांच को दबा दिया जावेगा। अब तक हुई जाँच जिसको आज दिनांक तक अंकित नहीं किया गया है में कई अनियमितताओं की पुष्टि होने के बावजुद इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा हैं। अत: श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम पंचायत तलवाडा की निम्न बिन्दूओं पर आप श्रीमान् के स्तर से जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करावें। 1. ग्राम पंचायत तलवाडा द्वारा वर्ष

2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में नियमों के विपरीत जाकर एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पट्टे किये गये हैं एवं खाली पडे भुखण्ड को कागजों में वर्षो से मकान निर्मित बताते हुवे निःशुल्क पट्टे जारी कर करोडो रूपयों को भ्रष्टाचार किया गया हैं। 2. निम्न कार्यो पर मौके पर किये गये कार्य के मुकाबले दूगुनी-तुगुनी राशि उठाकर लाखों रूपयों का भ्रष्टाचार किया गया हैं- क्र.सं. कार्य का नाम मद स्वीकृति राशि 1 खेल मैदान पर बैठक हेतु स्टेडियम निर्माण स्वीकृत मुख्यमंत्री घोषणा 30 लाख 2 सी.सी. सडक लक्ष्मीनारायण से खटवाडा की ओर मुख्यमंत्री घोषणा 25 लाख 3 इण्टरलोकिंग सी.सी. कार्य माली की दूकान से गौकर्णेश्वर पंचायत मद 5 लाख 4 इण्टरलोकिंग सी.सी. मुकेश के घर से जगदीश के घर तक पंचायत मद 2.50 लाख 5 पुलिया निर्माण बांसवाडा-डूंगरपुर रोड पर जयन्ति भाई की दूकान के सामने बस स्टेण्ड तलवाडा पंचायत मद 1.50 लाख 3. ग्राम पंचायत तलवाडा में राजस्व ग्राम तलवाडा के क्षैत्र क्यारी में पातेला तालाब से निकलने वाली सीपेज नालीयां लम्बाई लगभग एक किमी को प्रतिवर्ष 6 वर्षो तक महानरेगा योजना में स्वीकृत बिना कार्य के किये राशि व्यय की गई इसके बावजुद पंचायत मद से तीन बार क्रमशः नाला करना क्यारी में डायालाल जोशी के खेत से मगुलाल के खेत तक, 2. नाला गहरा करना क्यारी में जगदीश भाई के खेत से कचरू भाई के खेत तक तथा 3 नाला गहरा करना क्यारी में ईशक मोहम्मद के खेत से लालपुरा नाले तक, प्रत्येक वर्ष की राशि 1 लाख की स्वीकृति जारी कर जेसीबी मशीन से नाला गहरा बताया जकार राशि 3 लाख उठा ली गई है जबकि मौके पर मशीन चलाई ही नहीं गई हैं। 4. तलवाडा में अलग-अलग गांवो में ग्रेवल सडक के नाम से महानरेगा में निर्मित सडको पर ग्राम पंचायत को प्राप्त रूपयों में से स्वीकृतियां जारी बिना काम किये लाखों रूपये उठा लिये गये हैं। परिवादी श्री जयदीप त्रिवेदी द्वारा वगैरा शिकायत ब्यूरो मुख्यालय पेश की गई, जिस पर ब्यूरो में उक्त परिवाद दर्ज किया गया, जिसका सत्यापन श्री माधोसिंह तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो बांसवाडा द्वारा किया गया। परिवाद की जांच के दौरान परिवाद से सम्बन्धित कुछ प्रमाणित रिकोर्ड प्राप्त किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री जयदीप त्रिवेदी के बयान लेखबद्ध किये गये। परिवाद की जांच के दौरान तकनिकी कमेटी जांच रिपोर्ट में उल्लेखित अनियमित जारी पट्टों के सम्बन्ध में पंचायत राज विभाग एवं राजस्व विभाग की एक तकनिकी कमेटी का गठन कराया गया, जिसमें पंचायत राज विभाग से 02 पंचायत प्रसार अधिकारी व सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी एवं राजस्व विभाग से 02 भू-अभिलेख निरीक्षक व सम्बन्धित हल्का पटवारी की कमेटी का गठन कराया गया। परिवाद की जाँच के दौरान संकलित किये गये दस्तावेजों अनुसार पाया गया कि परिवादी श्री जयदीप त्रिवेदी द्वारा वर्ष, 2005 से 2015 तक ग्राम पंचायत तलवाडा, पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा किये गये निर्माण कार्यो एवं पट्टे वितरण में अनियमितता बाबत् एक शिकायत श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय बांसवाडा को किये जाने पर श्रीमान् जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक एफ 5 (1) सतर्कता/2014/926 दिनांक 02.09.2015 के द्वारा शिकायत पर जांच हेतु कमेटी का गठन कराया जाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा को भिजवाया गया। श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा के आदेश क्रमांक 2104 दिनांक 12.05.2016 के द्वारा श्री आर.सी. माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, बाध खण्ड माही परियोजना बांसवाडा एवं श्री हरिशचन्द्र पाटीदार, पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा का नाम मनोनित कर शिकायत की जांच हेतु कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी द्वारा परिवादी श्री जयदीप त्रिवेदी द्वारा की गई शिकायत में उल्लेखित बिन्दूओं की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया कि ग्राम पंचायत कार्यालय तलवाडा जाकर निर्माण कार्य एवं पंचायत द्वारा जारी पट्टों का रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, जिसमें पिछले 10 वर्षो में कराये गये कार्यो की जांच करना संभव प्रतीत नहीं होने पर 08 निर्माण कार्यो की रेण्डम जांच हेतु पत्रावलियां एवं रोकड पुस्तिका प्राप्त की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों मे से 31 मिसले प्राप्त कर उसकी जांच की गई। आबादी भूमि पर जारी पट्टा के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत पंचायत क्षैत्र में स्थित आबादी भूमि (नजुल भूमि) पंचायत राज क्षैत्राधिकार में आती हैं। पंचायत राज नियम 1996 के नियम 140 से 164 तक पंचायत द्वारा रियायती दर पर आंवटन भूमियो को कमजोर वर्गो को आंवटन, निलामी द्वारा आंवटन, पुराने गृहों को विनीयमितिकरण तथा भूमि का अस्थायी उपयोग आदि के संबंध में भूमि क्रय हेतु आवेदन, कमेटी द्वारा जांच, आपत्ति नोटीस एवं अतिम विनिश्चय द्वारा भूमि आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं, जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। ग्राम पंचायत से प्राप्त 31 मिसल पत्रावलियों का कमेटी के सदस्यगण् द्वारा अवलोकन करने पर किसी भी पत्रावली में पंचायत राज नियमों की सम्पूर्ण पालना नहीं किया जाना पाया गया हैं। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 के अनुसार-1 " जहाँ व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो वहां वे निम्न अनुसार राशि जमा कराये जिन्हें इसके पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। " अर्थात पंचायत राज नियम 157 के तहत पंचायत की आबादी भूमि में पुराने गृह निर्मित हो का 200 रूपये शुल्क लेकर विनीयमितिकरण किया जाकर पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता हैं, परन्तु पत्रावलियों के अवलोकन के दौरान 01 से 24 तक जांच रिपोर्ट में उल्लेखित व्यक्तियों जिन्हें ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 के तहत पट्टे जारी किये गये, परन्तु मौके पर आज दिनांक तक मकान (गृह) बना हुआ नहीं हैं अर्थात खुली/खाली पडी जमीन में पट्टे जारी किये गये हैं। जांच रिपोर्ट में उल्लेखित विवरण अनुसार जारी समस्त पट्टे पटवार मण्डल तलवाडा के ग्राम भावेग खेडी के

खसरा नम्बर 1427,1372 में खाली भूमि अर्थात पूर्व में गृह नहीं होने के बावजुद जारी किये गये जो कि नियमानुसार नहीं है। नियमानुसार खाली पडत भूमि का विक्रय जरिये नीलामी किया जाना था, परन्तु नियम 157 (1) के तहत पुराने गृह बनने संबंधी गलत साक्ष्यों के आधार पर पट्टे जारी किये गये हैं, जबकि रिक्त भूमि का पट्टा नियम 156 के तहत अनुमोदित बाजार (डीएलसी) दर के अनुसार कम से कम (न्युनतम बोली (निलामी) में राशि अधिक भी प्राप्त हो सकती हैं) इस अनुसार उक्त पट्टों में नियमानुसार भूमि खाली होने पर प्रस्तावित डीएलसी दर से नीलामी कर विक्रय करने पर पंचायत को 2,95,48,635 रूपये की आय होती, जबकि 157 के तहत 200 रूपये शुल्क पर ही पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत को राशि रूपया 2,95,48,635 अक्षरे दो करोड पीचानवे लाख अडतालीस हजार छः सौ पैतीस का राजकोष को नुकसान पहूंचाया हैं। जांच रिपोर्ट मे उल्लेखित अनुसार 01 से 06 तक ग्राम पंचायत द्वारा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पट्टे जारी किये गये हैं। इस हेतु श्रीमति मन्जुलादेवी सरपंच, श्री बीजाराम, ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री मुकेशचन्द्र भट्ट ग्राम विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। जांच कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय से मुख्यमंत्री बजट घोषणा मद में स्वीकृत निर्माण कार्य 1. खेल मैदान पर बैठक हेतु स्टेडियम निर्माण 2. सी.सी. सडक. लक्ष्मीनारायण मंदिर से खटवाडा तक, 3. इण्टरलोकिंग सडक माली की दूकान से गोकर्णेश्वर, 4. इण्टरलोकिंग सडक मुकेशजी की के घर से जगदीशजी के घर तक, 5. पुलिया निर्माण बस स्टेण्ड तलवाडा तथा 6 सीपेज नाली खोदने के तीन कार्य क्यारा में व 7. पुलिया निर्माण बांसवाडा-डूंगरपुर रोड पर जयन्ति भाई की दूकान के सामने बस स्टेण्ड तलवाडा की पत्रावलीयां प्राप्त कर जॉच की गई तथा कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी द्वारा उक्त निर्माण कार्यो में विभिन्न अनियमितता पायी जाकर निर्माण कार्य में 44,21,251 रूपये अनियमित भुगतान माना जाकर सम्बन्धित से वसुली योग्य माना हैं। इस प्रकार तकनिकी कमेटी के श्री आर.सी. माथुर अधिशाषी अभियन्ता बाध खण्ड माही परियोजना बांसवाडा एवं श्री हरिशचन्द्र पाटीदार, पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत तलवाडा ने आबादी भूमि में जारी किये गये पट्टों में भारतीय अनियमितताये पायी जाकर खाली भूखण्ड पर निर्मित मकान बताकर पट्टे जारी किये गये, जिसमें राजकोष को हुये हॉनि राशि 2,26,09,065 रूपये के लिए तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री बीजाराम व सरपंच से तथा राशि 71,02,260 रूपये तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री मुकेशचन्द्र भट्ट व सरपंच दोषी हैं। इस तरह कुल 2,95,48,635 रूपये तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच से वसुली योग्य माना हैं। उपरोक्त आबादी भूमि पर खाली भूखण्ड पर मकान निर्मित होने की रिपोर्ट तत्कालीन पटवारी श्री सत्यनारायण तेली द्वारा की गई जिसके लिए श्री तेली पटवारी भी अनियमितता में दोषी माना हैं, परन्तु श्री सत्यनारायण तेली तत्कालीन पटवारी की दिनांक 30.09.2020 को मृत्यु हो गई हैं। जांच कमेटी द्वारा निर्माण कार्य में अनियमित भुगतान मानते हुए कुल राशि 44,21,251 रूपये वसुली योग्य माना हैं, जिसमें कनिष्ट अभियन्ता श्री प्रमोद कुमार भट्ट, सरपंच श्रीमति मन्जुलादेवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बिजाराम से वसुली योग्य राशि 36,77,041 रूपये है एंव श्रमिको को भुगतान नहीं कर ठेकेदारों को भुगतान करने से श्रम मद की राशि सरपंच श्रीमति मन्जुलादेवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बीजाराम से वसुली योग्य राशि 5,44,210 रूपये हैं तथा बिना तकनिकी स्वीकृति एवं मूल्यांकन के नाला निर्माण कार्य पर व्यय की राशि 2 लाख रूपये सरपंच श्रीमति मन्जुलादेवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बीजाराम से वसुली योग्य माना हैं। अतः कमेटी की जांच रिपोर्ट अनुसार आरोपीगण् 1. श्रीमति मन्जुलादेवी सरपंच 2.श्री प्रमोद कुमार भट्ट, तत्कालीन कनिष्ट अभियन्ता, पंचायत समिति तलवाडा, 3. श्री बिजाराम तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, 4. श्री मुकेशचन्द्र भट्ट तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत तलवाडा, पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा द्वारा आपस में मिलीभगत कर अपने पद एवं अधिकारों का दूरूपयोग कर लाभार्थी को पट्टे वितरण में अनियमितता कर 2,97,11,325 रूपये की एवं निर्माण कार्य में अनियमितता कर 44,21,251 रूपये की राजकोष में वित्तीय हॉनि पहुचाना जाना अपनी जांच रिपोर्ट माना गया हैं। परिवाद की जांच के दौरान पंचायत राज विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कमेटी का गठन कराया गया जिसमें पंचायत राज विभाग से श्री भुपेन्द्र कुमार रावत, अतिरिक्त विकास अधिकारी, श्री रामकरण योगी सहायक विकास अधिकारी, श्री अशोककुमार, ग्राम विकास अधिकारी एवं राजस्व विभाग से श्री राकेश देवदा गिरदावर, श्री धुलजी दायमा गिरदावर एवं श्री संजय निनामा पटवारी सदस्यगण मनोनित किये गये। कमेटी द्वारा जांच पूर्व जांच रिपोर्ट उल्लेखित पट्टों मे से 23 पट्टों का मौका निरीक्षण कर अपनी संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार हैं- ए-निजी खातेदारी कृषि भूमि पर निम्न लाभार्थी को पट्टे जारी किये गये 1. श्री सवजी/धुलाजी रेबारी, 2. श्री राजाराम/सवजी रेबारी, 3. श्री राजाराम/सवजी रेबारी 4. श्री मोहनलाल/राजाराम रेबारी, 5. श्री गणेश/राजाराम रेबारी, 6. श्रीमति कमला/हीरालाल रेबारी,7. श्री हीरालाल/धुलाजी रेबारी, 8. श्री हीरालाल/धुलाजी रेबारी, 9. श्री हीरालाल/धुलाजी रेबारी, 10. श्री हजारी/धुलाजी रेबारी, 11. श्री गोविन्द/हजारी रेबारी को निजी खातेदारी कृर्षि भूमि पर नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये गये हैं, जिसमें श्री राजाराम/सवजी रेबारी को 02 पट्टे एवं श्री हीरालाल/धुलाजी रेबारी को 03 पट्टे जारी किये गये हैं। तकनिकी कमेटी द्वारा उक्त पट्टे जारी करने में कोई राजस्व हॉनि तो नहीं हुई है, परन्तु सभी पट्टे नियम विरूद्ध जारी किये जाना अंकित करते हुये पट्टे निरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सम्पूर्ण पट्टे जारी करने सम्बन्ध में सम्बन्धित हल्का पटवारी से लाभार्थी द्वारा जमाबंदी नकल की प्रति प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया हैं। सम्बन्धित हल्का पटवारी द्वारा उक्त जमाबंदी नकल राजस्व रिकोर्ड अनुसार आबादी भूमि होने व सम्बन्धित खसरे का अंकन

किया गया हैं तथा उक्त जमाबंदी नकल वर्ष, 2011 को जारी शुदा हैं। बी-पहाड किस्म भूमि जो श्री सरकार होती है पर निम्न लाभार्थी को पट्टे जारी किये गये हैं- 1. श्री नारायणलाल/लक्ष्मणलाल रेबारी, 2. श्री लक्ष्मण/अरजाजी, 3. श्री देवीलाल/लक्ष्मण रेबारी को पट्टे जारी किये गये है। तकनिकी रिपोर्ट अनुसार उक्त पट्टे जारी करना ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी नियम के अन्तर्गत नहीं आता हैं। इसलिये उक्त पट्टे अनियमित गलत जारी होने से निरस्त किया जाना उचित होगा की टिप्पणी अंकित की गई। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी व अन्य द्वारा लाभार्थी से मिलीभगत कर अनाधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा देने के नियत से नियम विरूद्व पट्टे जारी किये गये हैं। उक्त पट्टे जारी करने से पहले ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित हल्का पटवारी से किसी प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई हैं। सी- निम्न पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जारी किये गये हैं- 1.नारायणलाल/लक्ष्मणलालरेबारी 2.श्री नारायणलाल/लक्ष्मणलाल रेबारी3.श्री प्रभुलाल/कालिया को ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टे जारी किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। डी- डी.एल.सी. राशि जमा नहीं ली जाकर अधिक क्षैत्रफल का पट्टा जारी किया गया हैं- 1. श्री छगनलाल/मोतिया डिण्डोर, 2. श्री प्रभुलाल/कालिया, 3. श्री धनराज/सवजी रेबारी, 4. हजना/सवजी रेबारी, 5. श्री राजाराम/सवजी रेबारी को जारी पट्टे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार जयुपर की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (7)अमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2012/135 जयपुर दिनांक 11.02.2013 के अनुसार विनिर्दिष्ट क्षैत्रफल के लिए ऐसे अधिक क्षैत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की बाजार दरों पर 25 प्रतिशत से राशि वसुल किये जाने के प्रावधान हैं। इस अनुसार उक्त सभी पट्टों नियमानुसार 2700 वर्गफिट या 300 वर्गगज से ज्यादा क्षेत्रफल के ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्व जारी किये जाकर कुल 1,27,350 रूपये की राजस्व हानि पहुचाई गई हैं। उक्त पट्टे जारी किये जाने बाबत् सम्बन्धित हल्का पटवारी पटवार मण्डल तलवाडा श्री सत्यनारायण तेली से किसी पट्टे में निर्धारित प्रपत्र में आबादी भूमि होने की रिपोर्ट एवं किसी पट्टे में जमाबंदी नकल की प्रति प्राप्त की गई हैं। श्री सत्यनारायण तेली पटवारी की दिनांक 30.09.2020 को मृत्यु हो चुकी हैं। ई- ग्राम पंचायत द्वारा खाली भूखण्ड पर पट्टा जारी किया गया हैं। लाभार्थी श्री हिरालाल/धुलाजी रेबारी को 1350 वर्गफीट का खाली भूखण्ड का नियम विरूद्व पट्टा जारी कर आबादी भूमि रिक्त होने की स्थिति में डीएलसी दर के हिसाब नियमानुसार 510 प्रतिवर्ग फिट के हिसाब से 6,68,500 रूपये राजस्व राशि हानि ग्राम पंचायत द्वारा की गई हैं। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित हल्का पटवारी राजस्व रिकोर्ड बाबत् रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई हैं। इस प्रकार सरपंच श्रीमति मन्जुला, ग्राम विकास अधिकारी, श्री मुकेश भट्ट व श्री बीजाराम एवं लाभार्थीयों 1. श्री छगनलाल/मोतिया डिण्डोर, 2. श्री प्रभुलाल/कालिया, 3. श्री धनराज/सवजी रेबारी, 4. हजना/सवजी रेबारी, 5. श्री राजाराम/सवजी रेबारी, 6. श्री नारायणलाल/लक्ष्मणलाल रेबारी, 7. श्री लक्ष्मण/अरजाजी, 8. श्री देवीलाल/लक्ष्मण रेबारी 9. हिरालाल/धुलाजी रेबारी व अन्य से मिलीभगत कर नियम विरूद्व पट्टे जारी किये जाकर कुल 7,95,850 रूपये की राजस्व हॉनि पहुचाई गई हैं। परिवाद में पूर्व तकनिकी जांच कमेटी के सदस्यगण् श्री आर.सी. माथुर अधिशाषी अभियन्ता एवं श्री हरिशचन्द पाटीदार, पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा अपनी तकनिकी जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत कार्यालय से मुख्यमंत्री बजट घोषणा मद में स्वीकृत निर्माण कार्य 1. खेल मैदान पर बैठक हेतु स्टेडियम निर्माण 2. सी.सी. सडक. लक्ष्मीनारायण मंदिर से खटवाडा तक, 3. इण्टरलोकिंग सडक माली की दूकान से गोकर्णेश्वर, 4. इण्टरलोकिंग सडक मुकेशजी की के घर से जगदीशजी के घर तक, 5. पुलिया निर्माण बस स्टेण्ड तलवाडा तथा 6 सीपेज नाली खोदने के तीन कार्य क्याग में व 7. पुलिया निर्माण बांसवाडा- डूंगरपुर रोड पर जयन्ति भाई की दूकान के सामने बस स्टेण्ड तलवाडा की पत्रावलीयां प्राप्त कर जॉच की गई तथा कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। पूर्व तकनिकी जांच कमेटी की रिपोर्ट अनुसार परिवाद में उल्लेखित कार्यो में 44,21,251 रूपये का अनियमित भुगतान मानकर वसुली योग्य माना हैं तथा परिवाद की जांच के दौरान पंचायत राज एवं राजस्व विभाग संयुक्त तकनिकी टीम द्वारा कुल 9 पट्टे नियम विरूद्व जारी कर कुल 7,95,850 रूपये की राजस्व हॉनि होना मानकर वसुली योग्य माना हैं। उल्लेखनीय है कि जिला परिषद बांसवाडा गठित की गई पूर्व तकनिकी कमेटी श्री आर.सी. माथुर अधिशाषी अभियन्ता एवं श्री हरिशचन्द्र पाटीदार पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट उल्लेखित सभी पट्टो को नियम विरूद्व मानते हुये जारी पट्टो को डीएलसी दरों का आंकलन किया जाकर पट्टे वितरण में अनियमितता कर 2,97,11,325 रूपये राजस्व हॉनि पहुचाई जाना माना हैं, जबकि परिवाद के जांच के दौरान पंचायत राज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कमेटी द्वारा कुल 09 पट्टे नियम विरूद्व जारी कर कुल 7,95,850 रूपये की राजस्व हॉनि होना मानकर वसुली योग्य माना हैं। श्री सत्यनारायण तेली पटवारी की दिनांक 30.09.2020 को मृत्यु हो चुकी हैं। इस प्रकार से परिवाद की जांच से आरोपीगण् 1-श्रीमती मन्जुला डिण्डोर पति श्री रमेश डिण्डोर उम्र 41 साल निवासी मुकाम पोस्ट तलवाडा तहसील व जिला बांसवाडा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत तलवाडा जिला बांसवाडा 2- श्री मुकेश भट्ट पिता श्री गेबीलाल भट्ट उम्र 48 साल निवासी मुकाम पोस्ट सुन्दनपुर तहसील व जिला बांसवाडा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तलवाडा पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा 3- श्री बीजाराम सिंगारिया पिता श्री घीसाराम सिंगारिया उम्र 59 साल निवासी रेगरों का वास, जैतारण ब्यावर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तलवाडा पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा 4- श्री प्रमोद भट्ट पिता श्री नटवरलाल भट्ट उम्र 57 साल निवासी मुकाम पोस्ट भीलूडा जिला

डूंगरपुर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा लाभार्थीगण 5- श्री छगनलाल/मोतिया डिण्डोर उम्र 47 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 6- श्री प्रभुलाल/कालिया उम्र 48 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 7- श्री धनराज/सवजी रेबारी उम्र 42 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 8- श्री हजना/सवजी रेबारी उम्र 65 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 9- श्री राजाराम/सवजी रेबारी उम्र 46 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 10- श्री नारायणलाल/लक्ष्मणलाल रेबारी उम्र 45 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 11- श्री लक्ष्मण/अरजाजी उम्र 45 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 12- श्री देवीलाल/लक्ष्मण रेबारी उम्र 42 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 13- श्री हिरालाल/धुलाजी रेबारी उम्र 46 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा व अन्य द्वारा आपस में मिलीभगत अपने पद एवं अधिकारों का दूरूपयोग कर पट्टे जारी करने में 7,95,850 रूपये एवं निर्माण कार्यो में 44,21,251 रूपये कुल 52,17,101 रूपये की राजस्व हानि करना, जो उपरोक्त सभी का उक्त कृत्यु जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व धारा 467, 468, 471, 420 व 120 बी आईपीसी के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः 1- श्रीमती मन्जुला डिण्डोर पति श्री रमेश डिण्डोर उम्र 41 साल निवासी मुकाम पोस्ट तलवाडा तहसील व जिला बांसवाडा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत तलवाडा जिला बांसवाडा 2- श्री मुकेश भट्ट पिता श्री गेबीलाल भट्ट उम्र 48 साल निवासी मुकाम पोस्ट सुन्दनपुर तहसील व जिला बांसवाडा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तलवाडा पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा 3- श्री बीजाराम सिंगारिया पिता श्री घीसाराम सिंगारिया उम्र 59 साल निवासी रेगरों का वास, जैतारण ब्यावर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तलवाडा पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा 4- श्री प्रमोद भट्ट पिता श्री नटवरलाल भट्ट उम्र 57 साल निवासी मुकाम पोस्ट भीलूडा जिला डूंगरपुर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा लाभार्थीगण 5- श्री छगनलाल/मोतिया डिण्डोर उम्र 47 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 6- श्री प्रभुलाल/कालिया उम्र 48 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 7- श्री धनराज/सवजी रेबारी उम्र 42 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 8- श्री हजना/सवजी रेबारी उम्र 65 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 9- श्री राजाराम/सवजी रेबारी उम्र 46 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 10- श्री नारायणलाल/लक्ष्मणलाल रेबारी उम्र 45 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 11- श्री लक्ष्मण/अरजाजी उम्र 45 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 12- श्री देवीलाल/लक्ष्मण रेबारी उम्र 42 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 13- श्री हिरालाल/धुलाजी रेबारी उम्र 46 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा व अन्य द्वारा आपस में मिलीभगत अपने पद एवं अधिकारों का दूरूपयोग कर पट्टे जारी करने में 7,95,850 रूपये एवं निर्माण कार्यो में 44,21,251 रूपये कुल 52,17,101 रूपये की राजस्व हानि करना, जो जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व धारा 467, 468, 471, 420 व 120 बी आईपीसी के अन्तर्गत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं। भवदीय (ऋषिकेष मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ऋषिकेष मीना ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 13 (1) (सी) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व धारा 467, 468, 471, 420 व 120बी आईपीसी में आरोपीगण 1-श्रीमती मन्जुला डिण्डोर पति श्री रमेश डिण्डोर उम्र 41 साल निवासी मुकाम पोस्ट तलवाडा तहसील व जिला बांसवाडा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत तलवाडा जिला बांसवाडा 2- श्री मुकेश भट्ट पिता श्री गेबीलाल भट्ट उम्र 48 साल निवासी मुकाम पोस्ट सुन्दनपुर तहसील व जिला बांसवाडा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तलवाडा पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा 3- श्री बीजाराम सिंगारिया पिता श्री घीसाराम सिंगारिया उम्र 59 साल निवासी रेगरों का वास, जैतारण ब्यावर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तलवाडा पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा 4- श्री प्रमोद भट्ट पिता श्री नटवरलाल भट्ट उम्र 57 साल निवासी मुकाम पोस्ट भीलूडा जिला डूंगरपुर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा लाभार्थीगण 5- श्री छगनलाल/मोतिया डिण्डोर उम्र 47 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 6- श्री प्रभुलाल/कालिया उम्र 48 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 7- श्री धनराज/सवजी रेबारी उम्र 42 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 8- श्री हजना/सवजी रेबारी उम्र 65 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 9- श्री राजाराम/सवजी रेबारी उम्र 46 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 10- श्री नारायणलाल/लक्ष्मणलाल रेबारी उम्र 45 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 11- श्री लक्ष्मण/अरजाजी उम्र 45 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 12- श्री देवीलाल/लक्ष्मण रेबारी उम्र 42 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा 13- श्री हिरालाल/धुलाजी रेबारी उम्र 46 साल ग्राम तलवाडा जिला बांसवाडा व अन्य के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 159 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। । क्रमांक 646-52 दिनांक 09-05-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3- आयुक्त, ग्रामिण विकास एवं

पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर, 4-मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।,5- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा।,6 - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा। 7- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परिवाद संख्या 82/2019)। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the Investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJENDRA SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/05/2025 17:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1984				
2	Male	1977				
3	Male	1966				
4	Male	1968				
5	Male	1978				
6	Male	1977				
7	Male	1983				
8	Male	1960				
9	Male	1979				
10	Male	1980				
11	Male	1980				
12	Male	1983				
13	Male	1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)